कानून तो बन गया, लेकिन असर नहीं हुआ

नीरज सिंगला

भारत में दिसम्बर में हुई एक घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। इसके बाद सख्त कानून की बात हुई। कानून संसद से पास हुआ और उस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। इस कानून के अनुसार रेप के मामले में अपराधी को कम से कम 20 साल की सजा होगी, लेकिन इसे पूरे जीवन के लिए लागू किया जा सकता है। इस तरह के अपराधों के लिए पहले दोषी करार दिये गये व्यक्ति के पुनः इस प्रकार के मामले में शामिल होने पर उसे फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।

एसिड हमले के षड्यंत्रकारियों को एक 10 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। पहली बार गैर जमानती अपराधों के रूप में पीछा करने या छेड़छाड़ करने का दोषी पाए गए व्यक्ति पर अगर इसी प्रकार का आरोप फिर लगता है तो उसे भी 10 साल की सजा दी जाएगी। कानून में 18 साल में आम सहमति से सेक्स के लिए उम्र तय की है। कानून में बलात्कार की परिभाषा और बलात्कार के दायरे को व्यापक बनाने और इस तरह के अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस नए कानून का भी आम जनमानस पर कोई असर नहीं है। लोग अभी 16 दिसम्बर की घटना को भूले भी नहीं है और न ही उसमें अदालत का फैसला आया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रेप के साथ-साथ पाशविक बर्बरता का शिकार हुई 5 साल की बच्ची का मामला देखकर निर्भया का मामला सबकी आंखों के सामने आ गया। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी क्रूरता की घटना नहीं देखी थी।

5 साल की यह मासूम लड़की 14 अप्रैल से गायब थी। उसे उसी बिल्डिंग में ग्राउंड प्लोर में रहने वाले एक युवक ने अपने कमरे में हाथ-पैर बांध कर कैद कर रखा था। उसने बार-बार बच्ची के साथ रेप किया। लगातार पीड़ा से बच्ची बेहोश हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की इस कदर तकलीफ और खौफ से गुजरी है कि वह ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही। उसके पेट के निचले हिस्से से प्लास्टिक की शीशी और मोमबत्ती निकली है। उसका गला काटने की भी कोशिश हुई थी। वह अपने खून से सनी हुई थी। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी क्रूरता का केस उनके सामने कभी नहीं आया।

निर्भया वाले मामले में पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। इस मामले में भी पुलिस का रवैया वैसा ही लापरवाही भरा और कई मामलों में तो उस घटना से बदतर रहा। न केवल पुलिस चार दिनों तक बच्ची को खोजने का कोई कारगर प्रयास नहीं कर सकी, बल्कि बाद में जब बच्ची मिल गई और उसके साथ हुई अमानवीय हरकत की सामने आ गई तब भी पुलिस ने कथित तौर पर बच्ची के पिता को 2000 रुपए की रिश्वत देते हुए उनसे कहा कि इस घटना का जिक्र मीडिया से न करें।

घटना को दबाने की इस आपराधिक कोशिश का आरोप भी जैसे कम न था। जब इस घटना के विरोध में आसपास के लोग और आम आदमी के कुछ कार्यकर्ता जुटे और विरोध करने हॉस्पिटल पहुंचे तो वहीं एसीपी स्तर के एक ऑफिसर ने एक युवती को थप्पड़ मार दिया। हालांकि उस ऑफिसर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस घटना से इतना तो साफ है कि दिल्ली पुलिस ने निर्भया वाले मामले से भी कोई सबक नहीं सीखा है। न चुस्ती-फुर्ती के मामले में और न महिलाओं का सम्मान करने के मामले में।

हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या हमारी संवेदनायें केवल उसी समय जागृत होती हैं जबकि मीडिया उन्हें झंकृत करता है? एक पीड़ित लड़की के लिए न्याय माँगने के चरण में हमने रोज ही कई-कई बलात्कार घटनाओं को अपने आसपास होते देखा है। क्या कारण रहे कि सड़कों पर उतरी भीड़ उन सभी के लिए आक्रोशित नहीं दिखी? क्या कारण रहे कि सरकार भी उन तमाम पीड़ितों के इलाज अथवा न्याय के लिए इतनी तत्पर नहीं दिखी? आज भी देश में उस पीड़ित लड़की के समकक्ष और उससे अधिक पीड़ादायक स्थिति में बहुत सी महिलायें-बच्चियाँ-लड़कियाँ हैं। न तो हम और न ही हमारी सरकार उनकी ओर अपना ध्यान लगा रही है, कहीं इस कारण से तो नहीं कि मीडिया द्वारा उनकी समस्या को, उनकी पीड़ा को सामने नहीं लाया गया है? हमें अपनी जागरूकता, अपना संघर्ष, अपना आन्दोलन दिखाने के लिए यदि हर बार मीडिया की आवश्यकता पड़ती है तो उसे आन्दोलन नहीं, जागरूकता नहीं हमारी लोकप्रियता पाने की छिपी लालसा कहा जायेगा।

पीड़ा किसी की भी हो, मृत्यु किसी की भी हो, हमें इंसान होने के नाते दर्द होना चाहिए, हमारी संवेदनाओं को जागना चाहिए। यदि हम सभी आज मोमबत्तियाँ जलाते हुए वास्तविक रूप में जागरूक हैं तो हमें उस पीड़ित लड़की की मृत्यु के बाद सोने की आवश्यकता नहीं। उसकी वेदना को हमें शिद्दत से महसूस करना होगा। सोशल मीडिया पर अपनी फोटो को काला कर लेने से, चन्द कालापन शेयर कर देने भर से न तो उसको न्याय मिलेगा और न उन पीड़ित लड़कियों को न्याय मिलेगा जो हमारे आसपास अपनी पीड़ा को लिए जी रही हैं। अब जरूरत मोमबत्तियाँ जलाकर औपचारिकता निर्वहन की नहीं वरन् स्वयं को मशाल बनाकर अपनी बहिन-बेटियों-माताओं के कष्ट, पीड़ा को जला देने की जरूरत है। काश! हम सब वाकई जागरूक हो पायें।

आज सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी पुलिस को इस बात का पाठ पढ़ाएं कि उसे किस प्रकार से महिलाओं से बात करनी है। मैं दो किस्सों का जिक्र करना चाहूंगा। एक पंजाब का है, जिसमें पुलिस कर्मी एक महिला से हाथापाई कर रहे हैं और दूसरा दिल्ली का है, जहां पर अस्पताल में प्रदर्शनकारी एक लड़की को पुलिस के एसीपी रैंक के अधिकारी ने तीन थप्पड़ मारे और लड़की के कान से खून बहने लगा। हमें इस बात को समझना होगा कि पुलिस कानून की रक्षा के लिए है वह किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बने नए कानून में भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें पुलिस द्वारा इस प्रकार का बर्ताव करने पर कुछ नहीं है, निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। पुलिस के अधिकारियों को अपने मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों को मानवीय संवेदनाओं के बारे में बताना चाहिए। किसी को प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है, जब आदमी सड़क पर मुर्दाबाद और हाय-हाय करते हुए निकलता है तो निश्चित तौर पर उसमें गुस्सा होता है, रोष होता है। वह व्यवस्था से परेशान होता है। किसी घटना से हताश होता है, ऐसे में उसके गुस्से को आप गुस्सा होकर शांत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा, उसकी बात को सुनना होगा और तब कोई विचार करना होगा।

महिला सुरक्षा को लेकर बने कानून के बेअसर होने का कारण यह नहीं है कि लोगों में कानून का खौफ नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कानून में छेद है। वास्तव में इसके पीछे घृणित मानसिकता है। पहले हमारे यहां कानून में फांसी की सजा का प्रावधान है। बलात्कार के मामलों में 10 साल की सजा सुनाया जाना तो आम प्रचलन में है। बशर्ते कि बलात्कार के मामले की पुष्टि हो। वर्तमान कानून में संशोधन किए गए हैं और दूसरी बार बलात्कार का दोषी पाए जाने पर फांसी का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में यह बलात्कार एवं हत्या के मामले में ही था। एसिड फैंकने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है और घूरने, पीछा करने और फब्तियां कसने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ है। अगर बात सजा की है तो ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल महिला सुरक्षा का है। महिला सुरक्षा के लिए हमें केवल कानून के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए। इसके के लिए हमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लेना चाहिए।

16 दिसम्बर के वाकये के बाद दिल्ली समेत देश के अधिकांश शहरों की सड़कों पर आक्रोशित युवा किसी ठोस कदम के उठाये जाने की मांग के साथ निकल आया था। दिल्ली में ही पाशविकता की दूसरी घटना पर भी ऐसा ही रोष देखने को मिला है। अब हमें चेतने की जरूरत है। सड़क पर निकला युवा अब तब तक घरों को वापस न लौटे जब तक कि समाज की एक-एक बहिन-बेटी अपने को सुरक्षित महसूस न करने लगे। इसके लिए सभी को संगठित होने की, एकजुट होने की जरूरत है। जिन-जिन को इस एक लड़की की पीड़ा ने व्यथित किया है, जो-जो उसके लिए लड़ने को सड़कों पर उतरा है, जिस-जिस ने किसी भी रूप में उसके लिए इंसाफ की माँग की है वे सभी अपने-अपने शहरों में अपना एक संगठन बना लें। अपने-अपने सम्पर्क-सूत्र आपस में बाँट लें और अपने शहर की किसी भी महिला, लड़की के साथ होती छोटी से छोटी छेड़छाड़ की घटना पर ऐसे ही एकजुट हो जायें, इसी तरह से न्याय की माँग करें। हमारे इसी तरह से एकजुट होने से दुराचारियों के हौसले पस्त होंगे अन्यथा बलात्कार की घटनायें रोज हो रही हैं, रोज होती रहेंगी। कानून इसे रोक पाएगा, इसमें संदेह है। जिन मामलों में फांसी की सजा है, अपराध वह भी हो रहे हैं और जिन मामलों में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, अपराध वह भी हो ही रहे हैं, इन्हें रोकने का एकमात्र जरिया समाज में जागरूकता और समाज का डर है।

❑

(लेखक हिन्दी दैनिक में जगत क्रान्ति में समाचार सम्पादक हैं।)

अगले अंक में....

प्रिय पाठकों,

विचार परिक्रमा महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध करते हुए प्रकाशित की जाती है। हमारा अगला अंक फिल्म इंडस्ट्री और सीनीयर स्टारों में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर होगा। अगर आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी है तो आप हमें हमारी ईमेल : vichaar.p@gmail.com पर सूचना भेजें। आप अपने सुझाव, आलेख भी हमें भेज सकते हैं।

-सम्पादक